बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)
सूचना

सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना संख्या–7527, दिनांक–03.06.2019 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक शिकायत नियमावली के नियम–3 में यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार में सेवारत अथवा सेवानिवृत हुआ किसी भी वर्ग का कर्मी अपने सेवा मामलों एवं/अथवा सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में कोई शिकायत ऑनलाईन माध्यम से दायर कर सकता है । इसके अनुसरण में शिकायत दर्ज करने के लिए **सेवा समाधान** (http://sevasamadhan.bihar.gov.in) नाम का वेब पोर्टल बनाया गया है जिस पर कहीं से भी ऑनलाईन तरीके से शिकायत आवेदन दायर किए जा सकते हैं । राज्य मुख्यालय, जिला एवं अनुमंडलों में स्थापित किए गए '**लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्रों**' पर जाकर भी ऑनलाईन माध्यम से निःशुल्क रूप में शिकायत दायर की जा सकती है। इन केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त कर्मी सेवा समाधान के वेब पोर्टल पर शिकायतकर्त्ता द्वारा बतलाए गए विवरण के अनुरूप ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर उसकी पावती शिकायतकर्त्ता को हस्तगत करा देंगे । ऑनलाईन आवेदन दायर करते समय आवेदनकर्त्ता को कई विवरण प्रविष्ट करने हैं जो उनके द्वारा ही बतलाया जा सकता है, इसके बावजूद ऐसा पाया गया है कि कई व्यक्तियों द्वारा इस प्रणाली में शामिल करने हेतु शिकायत आवेदन सीधे तौर पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को भेज दिए जा रहे हैं । इस आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि –

"बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत शिकायत आवेदन इसके लिए बनाए गए वेब पोर्टल http://sevasamadhan.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन रीति से दायर की जाए । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिलों, अनुमंडलों एवं राज्य मुख्यालय में स्थापित किए गए 'लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्रों' पर भी जाकर शिकायत आवेदन दायर करने की सेवा निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है । इस प्रणाली में शामिल करने हेतु मिशन कार्यालय को सीधे तौर पर प्रेषित किए गए शिकायत आवेदनों पर मिशन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा उन्हें संचिकास्त कर दिया जाएगा ।"

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक

ज्ञापांक– बि.प्र.सु.मि.सो. /बि.स.से.से.शि.नि.–03/2019 सो0 1469**, पटना, दिनांक** 16/08/2019

प्रतिलिपिः– 1. सभी विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. इस सूचना की प्रति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के वेब पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाए ।

16-8-19
अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक

D:\SANJAY- 19\Adesh.docx